निगरानी / टीए/5002/ 2004/ जिला पाली
लालसिंह(जरिये कायम मुकाम) बनाम तीजा(जरिये कायम मुकाम)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
17-11-25	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री सत्यदेव राजपुरोहित, अभिभाषक प्रार्थीगण। श्री अक्षय कुमार दवे, अभिभाषक अप्रार्थीगण। **आदेश** 1 हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखंड अधिकारी, पाली द्वारा वाद संख्या 78/2001 में पारित आदेश दिनांक 17–04–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2 निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण/वादीगण ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पाली के समक्ष प्रस्तुत किया। दौराने वाद प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल पार्ट–ाा के नियम 23 एव संयुक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी, आदेश 7 नियम 11सीपीसी, आदेश 6 नियम 16 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया जिसे उपखण्ड अधिकारी, पाली ने आदेश दिनांक 17–04–2004 द्वारा खारिज कर दिया, उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। 3 उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस निगरानी पर सुनी गई। 4 विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान की ओर ध्यान नहीं दिया है कि राजस्थान राजस्व नियमावली भाग–2 के नियम 23 की पालना न करते हुए दिनांक 07–09–2002 को संशोधित शीर्षक सही नहीं पेश करने पर भी उसे उचित ठहरा कर विधिक भूल की है। राजस्थान राजस्व न्यायालय	

नियमावली भाग–2 के नियम 20 के अनुसार पारिणामिक संशोधन न करने व संशोधित शीर्षक गलत प्रस्तुत किए जाने से दावा काबिल खारिज है क्योंकि पारिणामिक संशोधन न्यायालय द्वारा किया जाना संभव ही नहीं है और न ही लाल स्याही से शीर्षक में न्यायालय द्वारा ही संशोधन किए जा सकने का किसी नियम में उल्लेख है। यह बिंदु इस प्रकार बहस में उक्त निर्णय दिनांक 18.06.01 के निर्णय में प्रतिपादित निर्णय सिद्धांत को distinguish करते हुए कही गई लेकिन उसका उल्लेख ही चुनौतीग्रस्त आदेश में नहीं किया गया है। किसी भी स्थिति में वाद के शीर्षक में (चाहे संशोधन पक्षकार करे या जैसा कि चुनौतीग्रस्त आज्ञा मे माना गया है उसे तर्क हेतु सही भी मान लिया जाए कि संशोधन न्यायालय करे) संशोधन वाद के शीर्षक में, मूल वाद के पक्षकारों की संख्या व स्थिति यथावत रखते हुए मृतक के आगे उसका बटा नंबर दे कर ही नियम 22 व 23 के अनुसार ही किया जाना अनिवार्य है। मृतक लाला का नाम व उसकी संख्या यथावत रखते हुए उसके नाम के आगे ‘‘विलोपित” आदेश के दिनांक सहित लिखा जाना ही अनुमत है। प्रतिवादी द्वारा, बिना अनुमति व बलपूर्वक कब्जा लेने पर ही प्रतिकूल कब्जे की अवधि, कब्जे की सर्वप्रथम तारीख से, प्रारंभ होती है और प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति के विरुद्ध भी खातेदारी प्राप्त होती है। इन पहलुओं पर 1959 SCR Supp- (2) 4476, 1984 RRD 821 (LB) में बताए गए जिनका उल्लेख किये बिना व उन पर विचार व विवेचन किये बिना व प्रतिकूल कब्जे में वादी की सहमति होने की अनिवार्यता की त्रुटिपूर्ण अवधारण से दिया गया चुनौतीग्रस्त आदेश, निरस्तनीय है। अभी तक तो उक्त वाद में वादी की साक्ष्य भी प्रारंभ नहीं हुई है फिर भी वाद की अंतिम स्टेज पर प्रार्थनापत्र के जरिए धारा 63 (1) (4) के अनुतोष की प्रस्तुति होने आदि का. चुनौतीग्रस्त आज्ञा में उल्लेख, त्रुटिपूर्ण है। विशेष तौर पर यह सब तब गंभीर त्रुटि है जब कि यह आधार, दिनांक 17.08.02 के आदेश द्वारा ‘‘धारा 183 RTA व उसके जरिए चाही गई Relief में किया जाता है....’’ आदेशित करने पर ही सर्व प्रथम बार उद्भूत हुआ और इसके तत्काल बाद दिनांक 21.09. 02 को ही तमाम वे प्रर्थनापपत्र प्रस्तुत कर दिए गए, जिनका निस्तारण चुनौतीग्रस्त आदेश द्वारा किया गया है। धारा 183 आरटीए का यह वाद

खरिज कराए जा चुकने के बाद, धारा 183–बी के अधीन प्रार्थनापत्र. चलने योग्य नहीं रहता क्यों कि धारा 183 का वर्तमान वाद, पुनः इसी वादमूल पर नया वाद या धारा 183–बी की याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करके प्रत्याहृत नहीं किया गया है और न ही ऐसी याचिका प्रस्तुत करने की अवधि अवशेषित है क्योंकि अवधि की गणना प्रथम अतिक्रमण के दिन से ही प्रारंभ हो गई जो धारा 183–बी के लिए सर्व प्रथम बार 3 वर्ष थी जो संशोधन से बारह वर्ष की गई व और संशोधन से 30 वर्ष की गई जिनमें से कोई भी अवधि लागू मानी जाए, दिनांक 5.2.58 से गणना करने पर, वे सब अवधियां गुजर चुकी हैं। इस प्रसंग में भी 1959 SCR Supp(2) 44 प्रस्तुत किया गया था जिसका विवेचन व विश्लेषण आलोच्य आदेश में नहीं किया गया। विक्रय दिनांक 4.2.58 के दिन 'भांबी' जाति पाली जिले की अनुसूचित जाति की सूचि में नहीं थी जो सर्वप्रथम बार 1976 के संशोधन विधेयक से ही पूरे राजस्थान की सूचि में डाली गयी है। ये दोनों सूचियां बता कर व उनमें कोई पर्यायवाचिता ढूंढ़ना या इस बाबत जांच करना निषिद्ध होना। 1965 SCR(1) 316 पेश कर बहस में बताया गया था लेकिन इसका उल्लेख किये बिना आलोच्य आदेश पारित किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद चलने योग्य नहीं होते हुए भी गलत निष्कर्षों पर चलने योग्य मानते हुए काउन्टर क्लेम खारिज कर गंभीर विधिक त्रुटि कारित की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अवैधानिक तरिके से आदेश पारित करते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त कर भारी त्रुटि कारित की है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल कारित कर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 16, आदेश 7 नियम 11 व आदेश 12 नियम 6 जाब्ता दीवानी बिना समझे गलत खारिज किया है। अन्त में उन्होनें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत 1965 SCR(1) 316, RLW 1979 पेज 220, RRD 1984 पेज 821 प्रस्तुत किये जिनका ससम्मान अवलोकन व अध्ययन किया।

5 इसके विरूद्ध विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने उपरोक्त तर्कों का

विरोध करते हुए आक्षेपित आदेश को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि दिनांक 04.02.1958 को किया गया बैचान अवैध था तथा धारा 63(1) (4) के अनुसार वादी ने स्वेच्छा से वादग्रस्त आराजी का परित्याग नहीं किया बल्कि प्रतिवादी ने इस भूमि पर बलपूर्वक गलत बेचान के आधार पर कब्जा कर लिया। इस कारण अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होना कानूनी तौर पर अवैध है एवं विधि के विपरीत किया गया कब्जा अवैध होता है। अन्त में उन्होनें उपजिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को विधिसम्मत बताते हुए निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

6 विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं आलोच्य आदेश का अद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7 पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थीगण/वादीगण ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पाली के समक्ष प्रस्तुत किया। दौराने वाद प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल पार्ट–ा के नियम 23 एव संयुक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी, आदेश 7 नियम 11सीपीसी, आदेश 6 नियम 16 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया जिसे उपखण्ड अधिकारी, पाली ने आदेश दिनांक 17–04–2004 द्वारा खारिज कर दिया, उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है।

8 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 17–04–2004 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी, आदेश 7 नियम 11सीपीसी, आदेश 6 नियम 16 जाब्ता दीवानी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने यह अंकित करते हुये खारिज किया है कि ‘‘वाद की अन्तिम स्टेज पर इस प्रार्थना पत्र के जरिए धारा 63 (1) (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुतोष की प्रस्तुति हुई है। जिसकी समीक्षा वाद के निर्णय में होनी है कि हाजा वाद के पक्षकारान के मध्य कब्जे के विवाद की स्टेज एवं प्रकृत्ति किस ओर तय होगी। इसलिए

प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा के बिन्दु को इस प्रार्थना पत्र के आधार पर विनिश्चयन करने से हाजा वाद जो कि अब अंतिम तथा मेरिट की स्टेज पर है। जिस पर प्रतिकूल प्रभाव होने की प्रबल संभावना परिलक्षित होती है। इसलिए वादी के खातेदारी अधिकार विलोपित हो जाने और प्रतिवादी के खातेदारी अधिकार वादग्रस्त भूमि पर कायम होने के अनुतोष का प्रार्थना पत्र इस स्टेज पर नही होने से ऐसे अनुतोष की प्रार्थना प्रार्थी प्रतिवादी खारिज की जाती है। चूंकि, प्रार्थी प्रतिवादी ने उनके इस प्रार्थना पत्र में एवं बहस में यह निवेदन किया गया है कि वाद की धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुतोष को तर्क कर दिया है इसलिए अब वादी प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करवाने की स्थिति में नहीं है न ही दीगर रेमेडी उनके पास शेष रहती है। इसलिए कब्जे के अभाव में वाद के अनुतोष प्राप्त करने का वादी अधिकारी नहीं है। इस संबंध में अप्रार्थी प्रतिवादी ने उनकी बहस के दौरान यह निवेदन किया गया कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 183 'बी' के जरिए अनुतोष की रेमेडी अधिशेष है जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खातेदारो को किसी भी विवादित आराजी के कब्जे प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। इसीलिए धारा 183 को इस वाद में तर्क करने से शेष धाराओं में वाद चलने योग्य है। इस बिन्दु पर विचारण न्यायालय ने विधिक प्रावधानो के आधार पर भी प्रतिवादी प्रार्थी के आवेदन पर विचार किया। यहां यह उल्लेखनीय है कि धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तर्क करने से वाद एकेडेमिक नहीं होकर शेष धाराओ में वाद की स्थिति यथावत चलने योग्य रहेगी। लेकिन यह स्थिति अलग है कि वाद की मेरिट पर उसका प्रभाव किस प्रकृति का रहेगा निर्णय के पूर्व उसकी विवेचना का उल्लेख यहां करना तर्क सम्मत नहीं है।, वादी द्वारा वाद वादीनी की जाति भांबी दर्ज करते हुए प्रस्तुत किया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की अनुसूची नोटिफिकेशन संख्या एफबी/1/एस. डबल्यू./65/66/72-605-23 दिनांक 21-7-65 समाज कल्याण विभाग राजस्थान के अनुसूचित जाति की अनुसूची की क्रम संख्या 16 में भांबी जाति दर्ज है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादी का उनके प्रार्थना पत्र में दर्ज अभिकथन कि भांबी जाति 1965 में अनुसूचित जाति में नही थी, गलत होने से स्वीकार योग्य नही है।'' अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल पार्ट-II के नियम 23 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6सीपीसी, आदेश 7 नियम 11, आदेश 6

नियम 16 सीपीसी (संयुक्त धाराओं) का प्रार्थना पत्र खारिज किया है।

9 विद्वान अधीनस्थ विचारण न्यायालय का आदेश सकारण व विधिसम्मत प्रकट होता है, जिसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में क्षेत्राधिकार संबंधी अथवा विधिसंबंधी व तथ्यपरक ऐसी कोई तात्विक त्रुटि कारित नहीं की गई है जो कि अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी के दायरे में आती हो। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का जो आदेश पारित किया है, वह पूर्णतः विधिसम्मत् है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 17-04-2004 में विधिक अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य है।

10 परिणामतः हस्तगत निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार नबंर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)

सदस्य